तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4775/2004/झालावाड़ रतनलाल बनाम भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.25	**खण्डपीठ** **श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट् श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् **–आदेश–** **1–** हस्तगत् द्वितीय अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 06–08–2004 जिसके माध्यम से अपीलांट् की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् प्रस्तुत की गई है। **2–** संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम शिवपुरा के खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 341 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 348 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 183 व 188 के तहत वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण को 1/2 – 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलांट् की प्रथम अपील को खारिज किये जाने से व्यथित होकर उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है। **3–** विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपील पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट/वादी् एवं उसके भाई भैरू की संयुक्त खातेदारी भूमि रही है तथा अपीलांट्/वादी के भाई भैरू का देहान्त दिनांक 28–05–1991 को हो जाने व भैरू के कोई जाईन्दा औलाद नहीं होने से अपीलांट्/वादी वादग्रस्त भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार हो गया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा एक फर्जी वसीयत तैयार कर उक्त वसीयत के आधार पर भैरू के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया। जबकि अपीलांट्/वादी के भाई भैरू द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत प्रतिवादी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4775/2004/झालावाड़ रतनलाल बनाम भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के पक्ष में निष्पादित नहीं करवाई गई थी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री का मुख्य आधार उक्त तथाकथित वसीयत ही रहा है, परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि वसीयत के आधार पर स्वत्व की घोषणा हेतु पृथक से वादपत्र पेश करते हुए चाराजोई की जानी चाहिए थी, जोकि प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तरणकरण को भी निर्णय का आधार माना गया है, जबकि नामान्तरणकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है, जिसके माध्यम से किसी के अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णयों का मुख्य आधार ही विधि द्वारा बाधित होने के बावजूद भी अपीलांट् के वादपत्र/अपील को विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर खारिज किया गया है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट् के भाई भैरू के लाऔलाद स्वर्गवास के उपरान्त अपीलांट् ही आराजी जैर का एकमात्र तन्हा मालिक रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् वसीयत के आधार पर हुए इन्द्राजात् को विलोपित करते हुए अपीलांट् आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों का मुश्तहक रहा है। लिहाजा अपीलांट्/वादी की अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाकर अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। **4–** विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार द्वारा अपने जीवनकाल में ही आराजी जैर की पंजीकृत वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में किये जाने के आधार पर आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज किया गया था। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए व प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत किसी सिविल न्यायालय द्वारा मिथ्या साबित/खारिज नहीं किये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती है तथा अपीलांट् द्वारा उक्त द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसा कोई नवीन तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जावे। लिहाजा अपीलांट् की उक्त द्वितीय अपील खारिज की जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री यथावत बहाल रखी जावे। **5–** विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। **6–** पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्/वादी एवं उसके सगे भाई भैरू के संयुक्त खाते की भूमि रही है तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4775/2004/झालावाड़ रतनलाल बनाम भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट्/वादी के भाई भैरू द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने हक व हिस्से की अर्थात आराजी जैर में से 1/2 हक व हिस्से की भूमि की पंजीकृत वसीयत प्रतिवादी के नाम निष्पादित कर दी गई थी तथा उसी अनुरूप वादग्रस्त भूमि के 1/2 हक व हिस्से की हद तक राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड रहा है। प्रकरण में अपीलांट्/वादी की मुख्य आपत्ति यह रही है कि अपीलांट् के भाई भैरू द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई तथा उक्त तथाकथित वसीयत एक फर्जी दस्तावेज है, परन्तु प्रकरण की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट्/वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिससे यह जाहिर हो सके कि अपीलांट्/वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय के समक्ष की गई हो अथवा उक्त तथाकथित वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त ही किया गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट्/वादी के सगे भाई भैरू द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत आज दिनांक तक एक अखण्डनीय दस्तावेज है तथा ऐसी अखण्डनीय वसीयत की वैधता पर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई प्रश्नचिन्ह् नहीं लगाया जा सकता है। उक्त वसीयत को अनुप्रमाणक साक्षी बाबूलाल PW2 द्वारा साबित किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। इस प्रकार दोनों समवर्ती न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत होने से प्रस्तुत द्वितीय अपील के माध्यम से आक्षेपित निर्णयों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाये जाने से अपीलांट् की द्वितीय अपील खारिज योग्य पाई जाती है। **<u>अतः आदेश है किः–</u>** अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06–08–2004 यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कमला अलारिया) सदस्य (राजेश कुमार दड़िया) सदस्य	